HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 27.03.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा हत्यारोपी पति को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 07-01-2023 को अभियुक्त ललित पुत्र मदनपाल उर्फ बब्लू निवासी ग्राम आलमगीरपुर उर्फ बलवापुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ द्वारा अपनी पत्नी राजेश्वरी देवी से अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 16/2023 धारा 498ए, 302 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 29.03.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 27.03.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे-एससी/एसटी स्पेशल हापुड़ द्वारा आजीवन कारावास व 50,000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्रीमति विनिता त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरीक्षक श्री धारा सिंह एवं पैरोकार म0का0 रीटा व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 सनोज कुमार का विशेष योगदान रहा।